---

**न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम सं. -1 (दक्षिण), कोटा (राज.)**

---

**पीठासीन अधिकारी :- पूजा मीणा, आर.जे.एस.**

Bail Application No. :- 2316/2026

**सीएनआर नंबर :-** RJKT020681492026

प्रदीप नागर पुत्र गिरधारी लाल नागर, उम्र 24 साल, निवासी वार्ड नं. 08 झपडा रोड, सिसवाली, थाना सिसवाली, जिला बारां, हाल मकान नं. 4-बी-20 नारकोटीक्स ऑफीस के पास, महावीर नगर, थाना महावीर नगर, कोटा शहर।

**....प्रार्थी/अभियुक्त**

**-बनाम-**

राजस्थान राज्य

**....अभियोगी**

**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस.,**
**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 238/2026, अपराध अन्तर्गत**
**धारा 189(2), 115(2), 126(2), 308(5) बी.एन.एस.,**
**पुलिस थाना कुन्हाडी, कोटा शहर**

**उपस्थिति :-**

1. श्री भारत अडसेला, अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. सहायक अभियोजन अधिकारी - राज्य की ओर से।

**-:: आदेश ::-** **दिनांक:- 25.08.2026**

1. **प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप नागर** की ओर से यह पृथक-पृथक प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। जमानत प्रार्थना पत्रों की नकल विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलवायी गयी। केस डायरी तलब की गयी। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त को दिनांक 24.08.2026 को गिरफतार किया गया था। अभियुक्त दिनांक 25.08.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना-पत्र में अंकित किया है कि उसे प्रकरण में झूंठा एवं रंजिसवश फंसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त प्रकरण से कोई

Authenticated Document

सरोकार नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क दिया कि दीपक ने मेरे मोबाइल में पैसे डला दिए, उसने कहा इसमें पैसे डाल दे तो मैंने डाल दिए। अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकवरी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त कोटा का निवासी है जिसके फरार होने व गवाहान को टेम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा नहीं है। वह न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जमानत मुचलके पेश करने के लिए तत्पर एवं तैयार है। अन्त में प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

3. सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 06.08.2026 को फरीयादी रणजीत सुमन द्वारा उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि निवेदन है कि मैं न्यू कमला उघान में रहता हू तथा कल दिनांक 5/8/2026 को समय 8.30 पीएम के आस पास मेरी परिचित शिवानी सिंह राजपुत का मेरे मोबाईल पर फोन आया और मुझे अपने घर पर बुलाया और मैं उसके हॉस्टल पर चला गया, फिर हम दोनों शराब पीने लगे 15-20 मिनट के बाद उसका पति दीपक बैरागी व उसका साथी पियुश वहां आ गये मै साईड में खडा हो गया थोडी देर बाद 3 व्यक्ति और आ गये इन लोगों ने मुझसे कहा तुम यहां क्या लेने आये हो तो मैंने कहा मुझे शिवानी ने फोन करके बुलाया है। इन सभी ने मेरे साथ मारपीट करने लग गये पियुश ने मुझे चाकु दिखाकर मेरे गले में पहनी हुई सोने की चैन छिन ली और मेरे से रुपये मांगने लगे मेरे से जबरदस्ती उन्होने मोबाईल से online 50000 पचास हजार रूपये डलवा लिये उसके बाद ये लोग और रुपये मांगने लगे मैंने कहा मेरी फोन की ऑनलाईन लिमिट खत्म हो गयी और फिर मुझे मारने पिटने लगे और कहने लगे तुझे जान से खत्म कर देंगे और फिर इन लोगों में से दो जने दिपक व उसका एक साथी मुझे मोटरसाईकिल के बीच में बिठाकर मेरे घर के बाहर ले गये और इन लोगों ने मुझे कहा कि घर से और रुपये लेके आओ मेरी पत्नी घर के बाहर ही खड़ी थी मेरी पत्नि से इन्होंने कहा हमारा प्लांट का सौदा हुआ है इसलिये एडवांस में पैसे ला दो मेरी पत्नी ने पैसे देने से इंकार कर दिया इसके बाद वह दोनों मुझे वही छोड के मोटरसाईकिल स्टार्ट करके भग गये और कहकर गये सुबह तक रुपये नहीं आये तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। अतत दीपक बैरागी व पीयुष व इनके साथियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करें.....इत्यादि।

Authenticated Document

पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दी गई घटनास्थल की सूचना, इससे संबंधित फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल व फर्द जब्ती भी उपलब्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 189(2), 115(2), 126(2), 308(5) बी.एन.एस. का आरोप है। केस डायरी पर संलग्न **प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निल है।**

प्रकरण के इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में फरियादी द्वारा मिथ्या आलिप्त किये जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर **प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप नागर** पुत्र गिरधारी लाल नागर, उम्र 24 साल, निवासी वार्ड नं. 08 झपडा रोड, सिसवाली, थाना सिसवाली, जिला बारां, हाल मकान नं. 4-बी-20 नारकोटीक्स ऑफीस के पास, महावीर नगर, थाना महावीर नगर, कोटा शहर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

**(पूजा मीणा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं.-1**
**(दक्षिण), कोटा**

6. आदेश आज दिनांक 25.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(पूजा मीणा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. -1**
**(दक्षिण), कोटा**

ANKIT SHARMA
Digitally signed by ANKIT SHARMA
Date: 2026.08.25 16:48:51 +0530

Authenticated Document